

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1981/पौष 11, 1902
No. 3] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981/PAUSA 11, 1902

इस भाग में भिन्न-पृष्ठ-संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 2-ईटोसी (बी एन)/81

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय.—34-जी. एस. एम. से कम की सन की लुगदी और एयर में टिशू कागज
का निर्यात-निषेध में ढील देना

निर्यात संख्या-9/13/80-ई-1.—निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1977 की अनुसूची-1
के भाग "क" में आई हुई वर्तमान प्रविष्टि में "34-कागज वर्ग लुगदी जिसमें
बांस की लुगदी भी शामिल है" और "54-हस्त निर्मित कागज को छोड़कर सभी
प्रकार के लेखन और मुद्रण कागज" की ओर ध्यान दिलाया जाता है। इन

प्रविष्टियों के अनुसार 34 जी. एस. एम. से कम की सन की लगवी और एयर मेल कागज का निर्यात अभी निषेध है।

2. इन मदों के निर्यात पर निषेध की आंशिक छूट में यह निश्चय किया गया है कि 34 जी. एस. एम. से कम की सन की लगवी और एयर मेल टिशू कागज का निर्यात पहले पाए के आधार पर उच्चतम सीमा के भीतर स्वीकृत किया जाए। 34 जी. एस. एम. से कम एयर मेल टिशू कागज के बारे में 1980-81 के लिए जो उच्चतम सीमा रिया की गई है वह संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता के अधिकार में रखी गई है और सन की लगवी के बारे में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, कलकत्ता और बम्बई के अधिकार में रखी गई है।

मणिनारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 2-ETC(PN)/81

New Delhi, the 1st January, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

Subject : Export of Hemp Pulp and Air-Mail Tissue Paper below 34 GSM-
in relaxation of the ban.

No. 9/13/80-EI.—Attention is invited to the present entries appearing at S Nos "34-Paper Grade Pulp including bamboo pulp" and "54—Writing and printing paper all sorts excluding hand made paper" in Part A Schedule I to the Exports (Control) Order, 1977. According to these entries export of Hemp Pulp and Airmail Paper below 34 GSM is at present banned.

2. In partial relaxation of the ban on export of these items, it has been decided to allow export of Hemp Pulp and Air-mail Tissue Paper below 34 GSM within a limited ceiling on first come first served basis. The ceiling released for the year 1980-81 will be placed at the disposal of Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta in respect of Air-mail Tissue Paper below 34 GSM, and at the disposal of Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta and Bombay in respect of Hemp Pulp.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports